

2022/217

प्रपत्र-8

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, शाहपुरा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

प्रशासनिक मामलों के सभ्य आयोग 2021

234  
30/6/22

-:आदेश:-

कैम्प-कैम्प

60  
2022

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी देवीश व भू.अ.नि. 2021 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार 21/1/22 नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम चोलावाहा व तहसील शाहपुरा व जिला प्रम की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में खता संख्या 45, 46, 29, 162 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क.सं. | ग्राम    | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)           | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|-------|----------|-------------|--|--|
| 1     | चोलावाहा | 45, 46      | सुवामल पुत्र (बंजांगला)<br>सुवामल पुत्र (बंजा) | सुवामल पुत्र (बंजांगला)<br>सुवामल पुत्र (बंजा)               |
| 2     | पारपुरा  | 162, 29     | सुवामल पुत्र (बंजांगला)                        | — 2 —<br>श्री 5-डा. अथावत<br>कलक्टर प्रम                     |

(~~म.प्र.दे.न.~~)  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा.कलक्टर, शाहपुरा

क्रमांक :- 235-236

दिनांक :- 30/6/22

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ..... के सूचनाथ।
3. रक्षित पत्रावली। सुवामल

30/6/22

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर,  
शाहपुरा